

आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण शामिल है। इस आलेख में आधार और अन्य कानून अधिनियम, 2019 की चर्चा की गई है, साथ ही आधार से संबंधित कुछ आशंकाओं को भी व्यक्त किया गया है। आवश्यकतानुसार यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। इस अधिनियम में आधार अधिनियम, 2016 के कई प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम की विधिविधि धारा 57 को भी इस अधिनियम में समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले वर्ष आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय तथा डेटा संरक्षण पर गठित न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम को लाया गया है। यह अधिनियम पारित होने के पश्चात् आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रस्तावित करेगा। इस अधिनियम में नमिन्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं।

कौन से संशोधन किये गए हैं?

- आधार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिये आधार का उपयोग किया जा सकता है। इस अधिनियम में व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिये ऑफलाइन सत्यापन (Offline Verification) का भी प्रावधान किया गया है। ऑफलाइन सत्यापन से पूर्व कंपनियों अथवा एजेंसियों को संबंधित व्यक्ति की अनुमति लेना आवश्यक होगा, साथ ही एजेंसियों न तो आधार से संबंधित डेटा को अपने पास संग्रह करेंगी तथा न ही उसका उपयोग एवं भंडारण कर सकेंगी।
- इस अधिनियम के अनुसार व्यक्ति आधार कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में कर सकेगा। अधिनियम प्रावधान करता है कि किसी सेवा हेतु आधार के माध्यम से पहचान का प्रमाणन सिर्फ संसद के कानून द्वारा ही अनिवार्य किया जा सकता है।
- यह अधिनियम टेलीग्राफ अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत केवाईसी (KYC- Know Your Customer) के लिये आधार (Aadhaar) के वैयक्तिक उपयोग का प्रावधान करता है। बैंकिंग कंपनियों तथा वित्तीय संस्थान अपने उपभोक्ता की पहचान के प्रमाणन के लिये केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न दस्तावेज जिनमें आधार भी शामिल है, का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता उपर्युक्त में से किसी भी एक दस्तावेज के माध्यम से अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। कंपनियों किसी भी सेवा के लिये इस आधार पर इनकार नहीं कर सकती हैं कि उपभोक्ता के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार यह अधिनियम पूर्व के अधिनियम की धारा 57 को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है।
- इससे पूर्व के अधिनियम में ऐसी किसी भी संस्था अथवा कंपनी जो किसी कानून के अंतर्गत स्थापित है, को आधार नंबर के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने की अनुमति थी। कति अब ऐसी इकाई जिसके नजिता एवं सुरक्षा संबंधी मानक उचित हों, साथ ही वह इकाई कानून द्वारा स्थापित हो, के लिये आधार कार्ड के माध्यम से प्रमाणन की अनुमति दी जा सकती है।
- इस अधिनियम में नरिदष्टि है कि बच्चे का आधार नंबर प्राप्त करने से पूर्व उसके माता-पिता अथवा अभिभावक की अनुमति आवश्यक होगी। इसके साथ ही अभिभावक को संबंधित संस्था द्वारा यह भी बताना होगा कि किस प्रकार की सूचनाएँ एकत्र की जाएंगी और किसके द्वारा ऐसी सूचनाएँ उपयोग की जा सकती हैं। बच्चे के बालगि होने (18 वर्ष) पर वह आधार को नरिस्त करने के लिये आवेदन कर सकता है।
- आधार से संबंधित सूचनाओं का प्रकटीकरण कुछ मामलों में किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी आधार अधिनियम के प्रतर्बिध लागू नहीं होंगे। कति यह प्रकटीकरण सिर्फ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश से ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ऐसा प्रकटीकरण सचिव स्तर के अधिकारी की अनुमति से किया जा सकता है। इससे पूर्व यह शक्ति जिला न्यायालय तथा संयुक्त सचिव स्तर अथवा इससे ऊपर के अधिकारियों को प्राप्त थी।
- इस अधिनियम के अंतर्गत एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष की स्थापना की जाएगी। UIDAI को प्राप्त सभी शुल्क, अनुदान आदि इसी कोष में जमा किये जाएंगे। इस कोष का उपयोग UIDAI के वस्तितार के लिये किया जाएगा इसमें संबंधित कर्मचारियों के वेतन, भत्ते भी शामिल हैं।
- अधिनियम व्यक्ति को कुछ मामलों में शकियत दर्ज करने की अनुमति देता है, जिनमें उनकी पहचान का प्रतरूपण या प्रकटीकरण भी शामिल है।
- इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य आधार के उपयोग के लिये नरिधारित मानदंडों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माना लगाना है। संशोधन के तहत आधार नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान है।

प्रभाव

- यह वधियक UIDAI को आधार का दुरुपयोग रोकने तथा नागरिक के हति में आधार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये मज़बूत तंत्र को स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा।
- अधिनियम की धारा 57 नज्ी कंपनियों को आधार की अनुपलब्धता के आधार पर सेवा देने से वंचित करने जैसी शक्ति देती थी। यह वधियक इस धारा की समाप्तिका प्रावधान करता है, इससे नागरिकों को अपनी नजिता एवं गोपनीयता के अधिकार को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। साथ ही पहचान की प्रमाणिकता के लिये आधार की अनविरयता सरिफ संसद के कानून द्वारा ही तय की जा सकेगी।

आशंकाएँ

- एक राष्ट्रव्यापी डजिटल पहचान जो केवल प्रतरूपण, प्रमाणीकरण, केवाईसी और कुछेक सेवाओं तक ही सीमति हो, संकीरण मानी जा सकती है। आधार का प्रारूप इसका उपयोग ऑनलाइन सामाजिक, वित्तीय और संपत्तिके पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिके स्वास्थय रिकॉर्ड आदि के निर्माण के लिये किये जाने की परकिलपना नहीं करता। नतीजतन, इस तरह के उपयोग के समर्थन के लिये आवश्यक सुदृढ़ता और नजिता सुरक्षा उपायों का अभाव प्रदर्शति होता है।
- यह प्रारूप कल्याण, शक्तिषा व स्वास्थय सेवा, गणतिीय वशि्लेषण, महामारी वजिज्ञान अध्ययन, कर अनुपालन आदि के लक्ष्यीकरण हेतु वशि्लेषिकी की सुवधिा जैसे सुरक्षति प्रोटोकॉल का परीक्षण भी नहीं करता जसिकी पुष्टि नवीनतम आर्थिके सर्वेक्षण से भी हुई है। नवीनतम आर्थिके सर्वेक्षण में ही प्रस्तावति आधार-लकिड डेटा का वाणजियक उपयोग एक अन्य तरह के गंभीर कानूनी व तकनीकी प्रश्न को जन्म देता है। स्पष्ट है कि आधार के तकनीकी प्रारूप और इसके उपयोग परदृश्य के कई पहलू हैं जनि पर गंभीरता से वचिार करने की आवश्यकता है।
- बायोमेट्रिकस कोई गुप्त जानकारी नहीं है, बायोमेट्रिकस के अवैध उपयोग, पहचान की चोरी एवं धोखाधड़ी के अन्य मामलों के लिये भी आधार भेद्य है।
- इसके अतरिकित आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य को दर्ज नहीं करता। प्राधिकरण व लेखा के बनिा प्रमाणीकरण उपयोगकर्त्ताओं के लिये धोखाधड़ी का गंभीर जोखमि उत्पन्न करता है क्योंकि कसिी एक उद्देश्य के लिये प्रमाणीकरण अथवा केवाईसी का इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य के लिये भी कयिा जा सकता है और वस्तुतः ऐसी घटनाएँ सामने आई भी हैं। अतः प्रमाणीकरण के उद्देश्य को दर्ज करना आवश्यक है।

नषिकर्ष

भारत में आधार (Adhaar) को लॉन्च हुए एक दशक से भी अधिक समय हो चुका है। आधार ने भारत में सरकार एवं लोगों के बीच वभिनिन सेवाओं के अंतरण जैसी उपयोगी भूमिका नभई है। इससे सरकारी बजट में कुशलता आई है, साथ ही लक्षति व्यक्तितक सेवाओं की पहुँच को सुनशिचति कयिा जा सका है। ध्यातव्य है कि आधार में कसिी व्यक्त वशिष से संबंधति अर्ता नजिी एवं गोपनीय सूचनाएँ होती हैं यदा इनका प्रकटीकरण कयिा जाता है अथवा दुरुपयोग कयिा जाता है तो इसके कई गंभीर परणाम हो सकते हैं। उपर्युक्त वचिार के संदर्भ में भारत में आधार को लेकर वाद-वविाद होता रहा है तथा आधार को अधिक सुरक्षति बनाने के लिये भी समय-समय पर प्रयास कयिे जाते रहे हैं। सरकार ने वर्ष 2016 में आधार अधिनियम को कानूनी रूप दिया कतिु इससे जुड़े वविाद समाप्त नहीं हो सके। इस परपिरेक्ष्य में वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने इसकी संवैधानिक वैद्यता को सही ठहराया, कतिु कुछ बदलाव के लिये सरकार को नरिदेश भी दिये। ऐसे ही नरिदेशों, नजिता के अधिकार एवं राष्ट्र हति के लिये आवश्यक प्रावधानों के साथ आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) वधियक, 2019 को पारति कयिा गया है। इसमें वभिनिन ज़रूरी प्रावधानों को शामिल कयिा गया है लेकनि अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जनिको संबोधति करने की आवश्यकता है। ये मुद्दे प्रमुख रूप से साइबर सुरक्षा एवं नजिता के अधिकार से संबंधति हैं। जनिहें बुनयिादी ढाँचे के विकास के द्वारा सुलझाया जा सकता है, इसके साथ ही तेज़ी से बदलती तकनीकी ने भी चुनौती उत्पन्न की है जसिका समाधान समय-समय पर वभिनिन बदलावों के द्वारा ही संभव है।

प्रश्न: हाल ही में पारति आधार वधियक के महत्त्वपूर्ण प्रावधान कौन से हैं? मौजूदा समय में आधार से जुड़ी वे कौन सी समस्यारँ हैं जनिहें दूर कयिा जाना अभी शेष है?